उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

गुरूकुल कांगड़ी, हरिद्वार–249404

सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) परीक्षा–2014

अभ्यर्थियों के लिए निर्देश

1. अभ्यर्थी अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका अनुपालन करें। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को परीक्षा भवन में केन्द्र अधीक्षक/कक्ष निरीक्षक द्वारा दिये गये अनुदेशों का भी पालन करना आवश्यक होगा।

(क) अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में परीक्षा के प्रथम दिन परीक्षा प्रारम्भ होने के आधा घंटा पूर्व और अन्य दिवसों में 20 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जायेगा। (ख) परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी दशा में परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।(ग) अभ्यर्थी प्रत्येक सत्र की परीक्षा प्रारम्भ होने पर प्रथम एक घंटे तक और प्रश्न–पत्र समाप्ति के अंतिम आधे घंटे की अवधि में परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं जायेंगे।

2.(क) अभ्यर्थी अपने साथ लेखन सामग्री लायें। (ख) अभ्यर्थी अपने साथ लायी गयी पुस्तक, नोट्स, कागज आदि परीक्षा कक्ष के बाहर निर्धारित स्थान पर जमा कर दें। यद्यपि इन वस्तुओं की सुरक्षा का प्रबन्ध रहेगा फिर भी यदि सामान खो जाता है तो इसका दायित्व आयोग का नहीं होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के पास नकल करने की कोई सामग्री पकड़ी जाती है तो अभ्यर्थी को उस परीक्षा विशेष से तथा आयोग की आगामी परीक्षाओं तथा चयन (Selection) से वंचित (Disqualify) किया जा सकता है, चाहे उक्त सामग्री का प्रयोग नकल करने में किया गया हो अथवा नहीं।

3. अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में औपबन्धिक प्रवेश दिया गया है। प्रवेश पत्र जारी किये जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उनकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं है अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किये जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि वह अंतिम रूप से चुन लिया जाता है तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जायेगी।

4. अभ्यर्थी को प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखने होंगे किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को उत्तर लिखने के लिए कोई श्रुतलेखक नहीं दिया जायेगा, परन्तु दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक के लिये परीक्षा से एक सप्ताह पूर्व आयोग को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रुतलेखक की अनुमति लेनी होगी। श्रुतलेखक की शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट से अधिक नहीं होगी। दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को प्रत्येक एक घंटे की अवधि के लिये प्रश्नपत्र में 10 मिनट का अतिरिक्त समय अनुमन्य होगा।

5. अभ्यर्थी परीक्षा में नॉन प्रोग्रामेबल किस्म के सरल बैटरी चालित पॉकेट कैलकुलेटर का प्रयोग इस प्रतिबन्ध के अधीन कर सकते हैं कि सम्बंधित प्रश्न के निर्देश/नोट में भी इसके प्रयोग की अनुमति का उल्लेख हो।

6. मुख्य उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर केवल निर्धारित स्थान पर ही अंकों एवं शब्दों में अनुक्रमांक लिखें। अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं के आवरण पृष्ठों पर ऊपर दाहिनी ओर शीर्ष पर अनुक्रमांक लिखे जायें। प्रश्नोत्तर में, यदि नाम या पता लिखना जरूरी हो तो नाम के लिए XYZ अथवा '**अबस**' एवं पता के स्थान पर ABC अथवा '**कखग**' लिखें। प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कोई असंगत, अप्रासंगिक तथा अवांछनीय बात लिखने पर आयोग अपने विवेकानुसार अभ्यर्थी को दण्डित कर सकता हैं।

7. परीक्षा भवन छोड़ने से पूर्व मुख्य उत्तर–पुस्तिका एवं अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं को एक साथ धागे से अवश्य बांधें।

8. प्रश्न–पत्र दिये गये निर्देशों के अनुसार ही हल करें। यदि निर्धारित संख्या से अधिक प्रश्न हल किये जाते हैं तो प्रारम्भ से लेकर निर्धारित संख्या तक कुल किये गये प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जायेगा और शेष की उपेक्षा की जायेगी। यदि किसी प्रश्नोत्तर को आपके द्वारा काटा जाता है तो काटने के बाद उसके नीचे यह अवश्य लिखा जाए कि उत्तर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं काटा गया है और उसका मूल्यांकन न किया जाए।

9. प्रत्येक सत्र की परीक्षा समाप्ति पर अभ्यर्थी तब तक अपने स्थान पर बैठे रहेंगे जब तक उनकी उत्तर पुस्तिका कक्ष निरीक्षक द्वारा जमा न कर ली जाय। परीक्षा समय समाप्ति के पश्चात कोई भी अभ्यर्थी उत्तर लिखने का प्रयास नहीं करेगा।

10. अभ्यर्थी न तो किसी को अपनी उत्तर–पुस्तिका से नकल करने देंगे और न ही किसी को प्रश्नोत्तर देने में किसी प्रकार की अनुचित सहायता देंगे या देने का प्रयास करेंगे और न ही ऐसी सहायता लेने की चेष्टा करेंगे। ऐसा करना या किसी अन्य अनुचित साधन का प्रयोग करना, कक्ष निरीक्षक पर अनुचित प्रभाव डालने का प्रयास, अनुचित व्यवहार का प्रदर्शन अथवा अनुदेशों की अवहेलना करना गम्भीर अपराध है। ऐसे मामले प्रकाश में आने पर आयोग द्वारा कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी जिसमें न केवल इस परीक्षा से अपितु आयोग की अन्य परीक्षाओं से तथा चयनों से आयोग के नियमानुसार 10 वर्ष तक प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है। साथ ही ऐसे दण्ड की सूचना संघ लोक सेवा आयोग एवं अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों तथा विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं आयोजित करने वाली अन्य संस्थाओं को भी दी जा सकती हैं।

11. अभ्यर्थी प्रश्न–पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में या हिन्दी देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं, परन्तु भाषा के प्रश्न–पत्रों का उत्तर उसी भाषा में दिया जाना आवश्यक है। किसी एक ही प्रश्न–पत्र के कुछ प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी और कुछ का हिन्दी में लिखना अथवा एक ही प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों में लिखना वर्जित है, अर्थात प्रश्न पत्र का सम्पूर्ण रूप में, उपर्युक्त में से किसी एक भाषा में उत्तर देना आवश्यक है। आवश्यकतानुसार प्राविधिक शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी में किया जा सकता है। मिश्रित भाषा में उत्तर देने पर अंकों में कटौती की जा सकती है।

12. अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका के बीच में खाली पृष्ठों को (यदि कोई हो) ''क्रास'' करेंगे तथा प्रयोग की गयी कुल उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या मुख्य उत्तर–पुस्तिका के प्रथम आवरण पृष्ठ पर लिखेंगे, जिन्हें कक्ष निरीक्षकों द्वारा चेक किया जायेगा।

13. प्रश्न पुस्तिका के पन्ने के दोनों ओर लिखें। उत्तर–पुस्तिका से कोई पन्ना न फाड़ें। यदि किसी पृष्ठ पर रफ कार्य (Rough Work) किया जाए या कोई उत्तर भूल से लिखा जाए तो उसे आर–पार रेखाएं खींच कर काट दें, किन्तु पन्ना कदापि न फाड़ें।

14. परीक्षा केन्द्र में मोबाईल फोन, पेजर्स अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र या इलेक्ट्रानिक उपकरण लाना वर्जित है। अभ्यर्थी अनुदेशों का उल्लंघन करते हैं तो उन पर लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही नियमानुसार की जा सकती है।

15. उत्तर लिखने में अनुदेशों का उल्लंघन करने पर दण्डस्वरूप निम्नानुसार कार्यवाही की जायगी–

(i) पेन्सिल से लिखे गये उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

(ii) मिश्रित भाषा का प्रयोग करने पर प्रति प्रश्न 5 प्रतिशत अंक की कटौती की जायेगी।

(iii) प्रश्न संख्या न लिखने अथवा गलत लिखने पर 01 अंक, प्रश्न का खण्ड न लिखने अथवा गलत लिखने पर 1/2 अंक तथा प्रश्न का उपखण्ड न लिखने अथवा गलत लिखने पर 1/4 अंक की कटौती की जायेगी।

(iv) उत्तर पुस्तिका में असंगत/धार्मिक चिहन/आपत्तिजनक शब्दावली का प्रयोग करने पर 01 अंक की कटौती की जायेगी।

(v) उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर एक या अनेक बार अनुक्रमांक अथवा नाम लिखने पर 02 अंकों की कटौती की जायेगी।

(vi) उत्तर पुस्तिका में नाम और अनुक्रमांक दोनों एक साथ एक बार या अनेक बार लिखने पर 03 अंकों की कटौती की जायेगी।

(vii) उत्तर पुस्तिका में अप्रसांगिक बातें लिखने तथा अनुक्रमांक और नाम तीनों एक साथ लिखने पर 04 अंकों की कटौती की जायेगी।

(viii) उत्तर पुस्तिका में परीक्षक से अपील/अनुरोध करने पर 02 अंक की कटौती की जायेगी।

(ix) उत्तर पुस्तिका में असंगत/अप्रासांगिक बाते लिखने तथा अनुक्रमांक एवं नाम और परीक्षक से अपील (अनुरोध/अनुनय/अभ्यर्थना) करने सहित चारों को एक साथ, एक या अनेक बार लिखने पर 05 अंक की कटौती की जायेगी।

(x) प्रश्न के उत्तर के रूप में पत्र लेखन में नाम के स्थान पर XYZ या **'अबस'** एवं पते के स्थान पर ABC या **'कखग'** के अलावा काल्पनिक अथवा वास्तविक नाम एवं पता लिखने पर 02 अंक की कटौती की जायेगी।

(xi) उत्तर लिखने में नीली अथवा काली स्याही के अतिरिक्त अन्य रंग की स्याही का प्रयोग करने पर प्रति प्रश्न 02 अंक की कटौती की जायेगी।

(चन्द्र सिंह धर्मशक्तु)

परीक्षा नियंत्रक